मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–387 / 2022

कृष्ण कुमार पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी 16–17 के.एन.एन. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 30.4.2024

वादी की ओर से संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक 30.4.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी ए के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब दावा मय पटवार हल्का जिनानिया रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 संपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर तहसील टिब्बी के चक नम्बर 2ए बारानी के खाता संख्या 202/5 में अंकित वादी का नाम [illegible] पुत्र हजारी राम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र हजारी राम किया जाकर [illegible] अभिलेख को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन किया समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा मे उक्तानुसार [illegible] जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.4.2024 .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल	—		
योग	—	योग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner